सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

29 माघ, 1937 (श०)

संख्या 473 राँची, गुरुवार,

18 फरवरी**, 2016** (ई०)

कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

13 जनवरी, 2013

संख्या-8/रा०-61/2012 – 332--'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल एतद् द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार राजभाषा विभाग के अन्तर्गत भाषा सहायक संवर्ग में भर्ती/प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नांकित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

(i) संक्षिप्त नाम:- यह नियमावली 'झारखण्ड भाषा सहायक सम्वर्ग (भर्ती/प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2015' कहलाएगी।

(ii) विस्तार:- इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य अन्तर्गत प्रखण्ड, अनुमण्डल एवं जिलास्तर पर रहेगा।

(iii) प्रभाव की तिथि:- यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. <u>परिभाषाएँ</u>

(क) राज्य:- 'राज्य' से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य;

(ख) सम्वर्ग:- 'सम्वर्ग' से अभिप्रेत है कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अन्तर्गत भाषा सहायक सम्वर्ग;

(ग) सदस्य:- 'सदस्य' से अभिप्रेत है राज्य के क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित भाषा सहायक के सदस्य;

(घ) नियमावली:- 'नियमावली' से अभिप्रेत है कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के नियंत्रणाधीन राजभाषा विभाग अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत भाषा सहायक संवर्ग में भर्ती/प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्तों को विनियमित करने के निमित बनायी गयी यह 'झारखण्ड भाषा सहायक सम्वर्ग (भर्ती/प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2015 ;

(ड.) आयोग :- 'आयोग' से अभिप्रेत है झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग;

(च) विभाग:- 'विभाग' से अभिप्रेत है कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार;

(छ) 'नियुक्ति प्राधिकार' से अभिप्रेत है प्रधान सचिव/सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार।

(ज) 'नियंत्री पदाधिकारी' से अभिप्रेत है संबंधित जिले के उपायुक्त;

(झ) 'भर्ती वर्ष' से अभिप्रेत है कैलेण्डर वर्ष (1ली जनवरी से 31 दिसम्बर)।

3. <u>सम्वर्गीय बल एवं संरचना</u>

इस सम्वर्ग में निम्न कोटि के पद होंगे:-

क्र०	पदनाम	वेतनमान	समूह	श्रेणी
1.	सहायक उर्दू अनुवादक (पूर्व नाम) भाषा सहायक (प्रस्तावित नाम) (मूल कोटि)	(5200-20200) पे बैन्ड-1 ग्रेड पे-2800	'ग'	अराजपत्रित
2.	उर्दू अनुवादक (पूर्व नाम) वरीय भाषा सहायक (प्रस्तावित नाम) (प्रथम प्रोन्नति का पद)	(9300-34800) पे बैन्ड-2 ग्रेड पे-4200	'ख'	अराजपत्रित
3.	भाषा अनुदेशक (प्रस्तावित नाम) (द्वितीय प्रोन्नति का पद)	(9300-34800) पे बैन्ड-2 ग्रेड पे-4600	'ख'	अराजपत्रित

4. <u>नियुक्तिः-</u> (i) भाषा सहायक सम्वर्ग के मूलकोटि का पद भाषा सहायक होगा, जिस पर शत प्रतिशत सीधी नियुक्ति झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी, जिसके लिए परीक्षा के विषय निम्नवत होंगेः-

(क) प्रथम पत्र- (i) उर्दू निबंध, संक्षेपण तथा व्याकरण एवं रचना - 50 अंक

(ii) हिन्दी निबंध संक्षेपण तथा व्याकरण एवं रचना - 50 अंक

(ख) द्वितीय पत्र- (i) हिन्दी से उर्दू अनुवाद - 50 अंक

(ii) उर्दू से हिन्दी अनुवाद - 50 अंक

(ग) तृतीय पत्र-(i)उर्दू/हिन्दी भाषा साहित्य ज्ञान से संबंधित सामान्य ज्ञान- 50 अंक

(ii) सामान्य ज्ञान - 50 अंक

(ii) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताः-किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी सहित उर्दू भाषा में स्नातक (प्रतिष्ठा) अथवा स्नातकोत्तर या समकक्ष।

(iii) आयोग प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अधियाचना के अनुसार मेधाक्रम में सफल उम्मीदवारों की अनुशंसा करेगा। इस सूची में मेधाक्रम के अनुसार भाषा सहायक के पदों पर नियुक्ति प्रधान सचिव/सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा की जायेगी।

5. प्रोन्नतिः-कंडिका (3) में अंकित पदसोपान में प्रोन्नति के सभी पद वरीयता सह योग्यता के आधार पर निम्नतर पद से भरे जायेंगे।

6. आरक्षणः-राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित आरक्षण नीति एवं रोस्टर इस सम्वर्ग पर भी लागू होंगे।

7. सम्पुष्टिः- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा संचालित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल करने के पश्चात् उनकी सेवा लगातार दो वर्षों तक संतोषप्रद पाये जाने पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा सेवा सम्पुष्ट की जायेगी।

8. कालावधिः-राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सम्वर्गों के लिए प्रोन्नति हेतु निर्धारित कालावधि भाषा सहायक सम्वर्ग में भी लागू होगी।

9. वरीयताः-(क) इस सम्वर्ग की वरीयता आयोग द्वारा मेधाक्रम में की गई अनुशंसा के आलोक में सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के आलोक में निर्धारित होगी।

(ख) वरीयता नियुक्ति पदाधिकारी के स्तर से निर्धारित होगी।

(ग) इस सम्वर्ग में पूर्व से कार्यरत कर्मियों की आपसी वरीयता उनके पूर्व से निर्धारित वरीयता सूची क्रमानुसार रहेगी।

10. स्थानान्तरण/पदस्थापनः- (क) नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा संबंधित जिले के उपायुक्तों को इस सम्वर्ग के कर्मियों की सेवा सौंपे जाने के पश्चात् उस जिले के विभिन्न अनुमण्डलों तथा प्रखण्ड स्तर पर पदस्थापन/स्थानान्तरण की कार्रवाई संबंधित उपायुक्त द्वारा की जायेगी।

(ख) सभी स्थानान्तरण/पदस्थापन सामान्यतः वर्ष में एक बार अर्थात् मई, जून माह में किये जायेंगे।

11. अनुशासनिक कार्रवाईः- अनुशासनिक कार्रवाई बिहार एवं उड़ीसा अवर सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1935 तथा सरकार द्वारा एतद्संबंधी सुसंगत निर्गत परिपत्रों के द्वारा विनियमित होगी।

12. सम्वर्ग के विभिन्न पदधारकों के कर्त्तव्य एवं दायित्वः-

(क) भाषा सहायकः-(i) भाषा सहायक, कार्यालय में उर्दू में प्राप्त आवेदन पत्रों का उर्दू से हिन्दी में अनुवाद तथा कृत कार्रवाई के उपरांत आवेदक को भेजी जानेवाली सूचना/पत्र का उर्दू अनुवाद करेंगे।

(ii) लेखा एवं वित्त संबंधी कार्यों को छोड़कर नियंत्री पदाधिकारी द्वारा समय-समय सौंपे गये अन्य कार्य।

भाषा सहायक का पद प्रखण्ड स्तर तक का होगा।

(ख) वरीय भाषा सहायकः-(i) अनुमण्डल कार्यालय में उर्दू में प्राप्त आवेदन पत्रों का उर्दू से हिन्दी में अनूदित सामग्री का भाषा की दृष्टि से विधीक्षा एवं पुनरीक्षण करेंगे तथा आवश्यकतानुसार अनुवाद भी करेंगे।

(ii) लेखा एवं वित्त संबंधी कार्यों को छोड़कर नियंत्री पदाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।

वरीय भाषा सहायक का पद अनुमण्डल स्तर तक का होगा।

(ग) भाषा अनुदेशकः- (i)जिला स्तर पर भाषा संबंधी कार्यें का अनुश्रवण करना एवं राजभाषा का कार्यान्वयन तत्परतापूर्वक सुनिश्चित करना।

(ii) सरकारी आदेशों/परिपत्रों आदि को उर्दू में भी प्रकाशित कराना।

(iii) सरकार द्वारा आयोजित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा (राजपत्रित एवं अराजपत्रित) का संचालन करने में संबंधित उपायुक्त को सहयोग करना।

(iv) हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सरकारी सेवकों को प्रशिक्षण देना।

(v) लेखा एवं वित्त संबंधी कार्यों को छोड़कर नियंत्री पदाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।

भाषा अनुदेशक का पद जिला स्तर तक का होगा।

13. <u>निरसन एवं व्यावृत्ति:-</u>

इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व इस विषय से सम्बन्धित निर्गत कोई नियम/ विनियम/अनुदेश/आदेश इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से निरसित माने जायेंगे।

14. संशोधन/शिथिल करने की शक्तिः-

यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाए कि संवर्ग में नियुक्त व्यक्तियों को इस नियमावली के नियमों/प्रावधानों को लागू करने से किसी विशेष मामले में अनुचित कष्ट होता है तो वह उस मामले में प्रयोज्य नियमों/प्रावधानों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अपने आदेश द्वारा यथा स्थिति, उस नियम या उन नियमों को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन जिसे वह आवश्यक तथा समीचीन समझे, शिथिल/संशोधन कर सकेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रतन कुमार,

सरकार के सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 473—50 ।